बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि०सं०–भवन / 10 / (लखीसराय)–05 / 2013.....5467 (सं) पटना, दिनांक– 10·6·16

:: अधिसूचना ::

लखीसराय जिलाअन्तर्गत जिला कृषि कार्यालय, भवन निर्माण कार्य एवं संयुक्त भवन निर्माण कार्य में घटिया सामग्री उपयोग किये जाने से संबंधित श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय स०वि०स० से प्राप्त परिवाद पत्र की जाँच निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा की गयी। निगरानी विभाग के पत्रांक–4269 दिनांक–18.07.2012 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हुआ। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में संयुक्त भवन के निर्माण कार्य में खिड़की के पल्ले में साल लकड़ी (Sal Wood) के स्थान पर स्थानीय लकड़ी का उपयोग किये जाने के लिए संबंधित सहायक अभियंता को दोषी प्रतिवेदित किया गया है।

2. संयुक्त भवन, लखीसराय के निर्माण कार्य में सम्बद्ध सहायक अभियंताओं में से श्री भूलन प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, लखीसराय का भी नाम कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लखीसराय के पत्रांक–897 दिनांक–18.12.2012 द्वारा प्रतिवेदित किया गया जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक–2819(भ0) दिनांक–07.03.2013 द्वारा श्री भूलन प्रसाद तद्देन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल लखीसराय से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

3. श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक–03.04.2013 में उल्लेख किया गया कि खिड़कियों के पल्ले का निर्माण एकरारनामा की शर्तो के अनुसार शाल लकड़ी से ही किया गया है। खिड़कियों के कुछ पल्लों के सिकुड़ने का कारण लकड़ी का पूरी तरह Seasoned नहीं होना है, जबकि अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग के प्रतिवेदन में इस आशय का निदेश अंकित है कि स्थानीय लकड़ी को हटाकर शाल लकड़ी उपयोग किया जाय। इससे स्पष्ट है कि प्रारंभिक कार्य के दौरान स्थानीय लकड़ी का ही उपयोग किया गया था। पुनः विभागीय उड़नदस्ता दल द्वारा जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया गया कि संयुक्त भवन के चौखट एवं दरवाजों में दीमक लगा हुआ है। चौखट का फिटिंग्स ठीक नहीं है अर्थात दरवाजे एवं खिड़कियों में सही लकड़ी का उपयोग नहीं किये जाने के कारण ही समय से पूर्व यह क्षतिग्रस्त हो गया।

4. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री भूलन प्रसाद, तद्देन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, लखीसराय से प्राप्त स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए उनके विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित पाया गया।

5. तद्आलोक में श्री भूलन प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति सहायक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को प्रमाणित आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 (i) में उपवंधित निम्न दंड संसूचित किया जाता है।

(i) **निंदन वर्ष–2011–2012**

बिहार राजयपाल के आदेश से

8·6·16

(उमेश कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

कृ0पृ0उ0

D/Adhisuchna/Adesh/Sanjay Singh.

ज्ञापांक– 5468 (भ)

पटना, दिनांक– 10.6.16

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/- 8.6.16

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5468 (भ)

पटना, दिनांक– 10.6.16

प्रतिलिपिः– उप सचिव, ई0 गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यर्थ/आई0टी0 मैनेजर भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेव साइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह॰/- 8.6.16

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5468 (भ)

पटना, दिनांक– 10.6.16

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल भागलपुर एवं मुगेर/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल लखीसराय, भवन निर्माण विभाग/सभी उप सचिव/अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह॰/- 8.6.16

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5468 (भ)

पटना, दिनांक– 10.6.16

निबंधित

प्रतिलिपिः– श्री भूलन प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह॰/- 8.6.16

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5468 (भ)

पटना, दिनांक– 10.6.16

निबंधित

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव, निगरानी विभाग के पत्रांक–4269 दिनांक–18.07.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह॰/- 8.6.16

सरकार के संयुक्त सचिव।

D/Adhisuchna/Adesh/Sanjay Singh.